भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *93
उत्तर देने की तारीख 10.02.2025

स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना

***93. श्री वीरेन्द्र सिंह :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशेष रूप से जनजातियों/वनवासियों के शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए उनकी स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के लिए कोई योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का देश के जनजातीय क्षेत्रों में नेटवर्किंग संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 10 फरवरी, 2025 को श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *93 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): लोक/जनजातीय/स्थानीय कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की रक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए, भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) की स्थापना की है जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। ये जेडसीसी पूरे देश में नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसके लिए वे स्थानीय लोक/जनजातीय कलाकारों को शामिल करते हैं जो इन कार्यक्रमों के दौरान अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय, टीए/डीए, भोजन और आवास एवं स्थानीय परिवहन प्रदान किया जाता है ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इसके अतिरिक्त, सभी सात जेडसीसी क्षेत्रीय महोत्सवों और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) जैसे राष्ट्रीय स्तर के महोत्सवों का आयोजन करते हैं, जहां स्थानीय कलाकारों/कारीगरों की भागीदारी के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय, लोक/जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को विशेष मंच प्रदान करते हुए जेडसीसी द्वारा ऑक्टेव-पूर्वोत्तर महोत्सव' का आयोजन किया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), भारत सरकार ने जनजातीय संस्कृति, विरासत, परंपरा और रीति-रिवाजों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ''जनजातीय शोध संस्थानों को सहायता और ''जनजातीय शोध, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)'' की स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके अंतर्गत जनजातीय संस्कृति, विरासत, अभिलेखागारों, कलाकृतियों, जनजातीय समुदायों के रीति-रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थान तथा दिल्ली में 01 राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं। इस दिशा में की गई पहलें निम्नलिखित हैं:

i. जनजातीय लोगों के साहसिक और देशभक्तिपूर्ण कृत्यों को पहचान देने और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान की है।

ii. मंत्रालय ने खोजनीय डिजिटल संग्रह विकसित किया है, जहां सभी शोध पत्र, पुस्तकें, रिपोर्ट और दस्तावेज, लोकगीत और फोटो/वीडियो अपलोड किए जाते हैं। वर्तमान में, इस संग्रह में 10,000 से अधिक फोटो, वीडियो और प्रकाशन हैं, जो अधिकतर जनजातीय शोध संस्थानों द्वारा किए गए हैं।

iii. राज्य जनजातीय महोत्सव, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, ताकि देश भर के जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक प्रस्तुत की जा सके, जिसमें लोक नृत्य, गीत, व्यंजन, प्रदर्शनी, चित्रकला, कला और शिल्प में पारंपरिक कौशल, औषधीय पद्धतियों आदि का प्रदर्शन शामिल है।

iv. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टीआरआईएफईडी), जनजातीय उत्पादकों के आधार का विस्तार करने के लिए राज्यों/जिलों/गांवों में सोर्सिंग स्तर पर नए कारीगरों और उत्पादों की पहचान करने के लिए जनजातीय कारीगर मेलों (टीएएम) का आयोजन करता है।

v. राज्यों के नृवंशविज्ञान संबंधी संग्रहालय विभिन्न जनजातियों के जीवन और संस्कृति से संबंधित दुर्लभ कलाकृतियों को संरक्षित और प्रदर्शित करते हैं।

vi. "जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)" के अंतर्गत, प्रतिष्ठित शोध संस्थानों/संगठनों/विश्वविद्यालयों ने जनजातीय मामलों पर शोध अध्ययनों की कमी को दूर करने और समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों को बढ़ावा देने के साथ-साथ जनजातीय कार्यों से जुड़े जनजातीय व्यक्तियों/संस्थाओं का क्षमता निर्माण, सूचना का प्रसार और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न शोध अध्ययन/पुस्तकों का प्रकाशन/ऑडियो-विजुअल वृत्तचित्रों सहित प्रलेखन कार्य शुरू किया है।

(ख): दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारत सरकार ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन - पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) के वित्तपोषण से अनेक कदम उठाए हैं और परियोजनाएं शुरू की हैं ताकि देश के जनजातीय क्षेत्रों सहित दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तथा द्वीपों में उच्च बैंडविड्थ क्षमता, मोबाइल सेवाएं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके,

जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां फिलहाल कवरेज नहीं है। प्रमुख परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

i. भारतनेट परियोजना को सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सेवा प्रदाताओं के लिए समान रूप से उपलब्ध है और इसका उपयोग वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइन, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के लिए बैकहॉल आदि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट चरण- I और II के मौजूदा नेटवर्क के स्तरोन्नयन और शेष 42,000 ग्राम पंचायतों (लगभग) में नेटवर्क सृजन, इसके प्रचालन और 10 वर्षों हेतु रखरखाव के लिए 04.08.2023 को डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव (डीबीओएम) मॉडल के तहत संशोधित भारत नेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है। शेष गैर-जीपी गांवों (लगभग 3.8 लाख) को उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों से मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। घरों में एफटीटीएच कनेक्शन के लिए बीएसएनएल को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 13.01.2025 तक देश में 2,14,323 ग्राम पंचायतों में सेवा उपलब्ध करा दी गई है।

ii. देश के सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट/डेटा और मोबाइल सेवाएं (4जी सहित) उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न लक्षित स्कीमें/परियोजनाएं जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी), द्वीपों (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह) के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना, सीमावर्ती गांवों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना, सभी कवरेज रहित गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए 4जी सेचुरेशन स्कीम आदि लागू की गई हैं।

iii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड इंटरनेट/डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (2312 किमी) के बीच अगस्त, 2020 में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली गई है। जनवरी, 2024 में मुख्य भूभाग (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच 1869 किमी (कुल 11 द्वीप यथा कवरत्ती, कल्पेनी, अगत्ती, अमिनी, आंद्रोत, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेतलाट, किल्टान और कडमथ) की दूरी को कवर करते हुए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी भी प्रदान की गई है। एफटीटीएच और अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए लक्षद्वीप द्वीपसमूह में 225 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बनाया गया है। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं ने इन द्वीपों में मोबाइल सेवाओं (4 जी / 5 जी) और अन्य हाई-स्पीड डेटा सेवाओं को शीघ्रता से उपलब्ध कराने के कार्य को सुविधाजनक बनाया है।

*****